

<p>तारीख हुकम</p>	<p>अपील संख्या 142/2017 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---	---

06/10/25 P.O साहब राजकार्य हेतु मुख्यतः से बाहर पधारें  
अतः पेशी इतिहास होकर आयुक्त दिनांक 24/11/25 को  
पेश है। (क)

24/11/25 आज अपीलार्थ उपाध्यक्ष  
अपील रिस्पॉन्डेंट उप. पूर्वदिशि की पाठना करें।  
पत्रावली पूर्वानुसार  
अपील दिनांक 12/12/25 को पेश है।

12/12/25 आज अधिवक्ता संघ चुनाव कार्य में अज्ञान... लिखे जाने  
के फलस्वरूप न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। अतः पत्रावली  
पूर्वानुसार वास्ते... अज्ञान... दिनांक 15/01/26 को पेश हों।

15/01/26 अधिवक्ता उभयपक्ष उप. अधिवक्ता अपीलार्थ पूर्वदिशि  
की पाठना करें। पत्रावली दिनांक 25/3/2026  
को पेश है।


25/3/26 अधिवक्ता उभयपक्ष उप. अधिवक्ता अपीलार्थ पूर्वदिशि  
की पाठना करें। पत्रावली दिनांक 16/4/26 को पेश है।

16/4/26 अधिवक्ता उभयपक्ष उप. अधिवक्ता अपीलार्थ की  
न्यायालय राजा के आदेशिका दिनांक 11/7/2025 के  
द्वारा प्रकरण में ही सुकोरास जैन को कर्तार रेस्को -  
पक्षकार संयोजित किये जाने की कार्यवाही करने हेतु एवं

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

सुनील कुमार बनाम उपखंड अधिकारी मारवाड जंमन

किस्म मुकदमा ..... मुकदमा नम्बर 142/2017 सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>ही सुनौल जैन के पंजीहत लगन पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तथा उक्त आदेशिका की पाठना हेतु अधिकता अपीलान्त को 07 अक्टूबर प्रदान किये गये। किन्तु अधिकता अपीलान्त द्वारा पालनभूकर कर आदिमांड तक न्यायालय आदेशों के तामील नहीं की गयी। अतः अधिकता अपीलान्त द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने से उक्त अपील अक्ष तामील में खारिज की जाती है। पक्षी इसी मुताबिक फैसल सुमाट होकर बाद आवश्यक अप्रिवी वाकिज दफतर है।</p> <p style="text-align: center;"> राजस्व अपील प्राधिकारी पाली</p>	